<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा</u>

(पीठासीन अधिकारी ——अमित कुमार वर्मा, R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 53/2019 राजस्व प्रा.पत्र

1 गोविन्द राम पिता शंकरलाल गुरू उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..........प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पिता बल्देव माली उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. तहसीलदार (भूमिधारी) फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास पंचायत कोठिया तहसील फुलियाकलां
4. श्री छोटू पिता शंकर लाल गुरू उम्र वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :::–

श्री सुनील कुमार शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थीगण समस्त अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 01.04.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 13.05.2019 को विरूद्ध विपक्षीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कोठिया की आराजी संख्या 2343 रकबा 0.01 हैक्टे. गै.मु.आचा भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 3 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व साबिक आराजी संख्या 1506/2 रकबा एक बिस्वा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 04 की पिता शंकरलाल गुरू का हक आधिपत्य था। परन्तू पैमाईश के दौरान भू–प्रबन्ध राजस्व कर्मचारीयों ने सबिक से नवीन पडे खसरान नम्बर 2343 को विपक्षी संख्या 03 विकास पंचायत के नाम पर दोषयुक्त परिवर्तन कर दिया। जबकि प्रार्थी शुरूआत से ही विवादित कुंए का उपयोग उपभोग अपने हिस्से की आराजीयात की सिंचाई कार्य में करता चला आ रहा है। राजस्व कार्मिकों ने यह विधिक भूल कारित की है, जो अनवरत रूप से चली आ रही है।

इस सम्बंध में प्रार्थी/वादी ने बाबत [illegible] आराजीयात का राजस्व वाद इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है [illegible] प्रकरण संख्या 09/2019 पंजीबद्ध होकर वादपत्र जैर कार्यवाही है। प्रार्थी ने [illegible] प्रार्थनापत्र के माध्यम से मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई [illegible] विपक्षीगणों को रेकार्ड एवं [illegible] की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पांबद किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना सुनवाई पर गैरहाजिर रहने से विरूद्ध अप्रार्थीगण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, साथ ही प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 से 03 धन व बल के दम पर आराजीयात की पीलाई में अवरोध उत्पन्न करते है, व आये दिन प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 04 की बेदखली का प्रयास करते है। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 01 से 03 को इस प्रकार पाबंद करावें कि प्रार्थी की काबिज आराजीयात की कुंऐ से पीलाई में अवरोध उत्पन्न नही करें, न किसी अन्य से करावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। यदि विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि पर स्थित कुंए से सिचाई को लेकर प्रार्थी से विवाद/अवरोध उत्पन्न करते है अथवा बैदखली का प्रयास करते है तो निश्चित रूप से प्रार्थी के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त विवादित आराजीयात के सम्बंध में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। अत:प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 से 03 इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम कोठिया की आराजी संख्या 2343 रकबा 0.01 हैक्टे. गै.मु.आचा में से प्रार्थी के हक एवं हिस्से की सीमा तक विपक्षी संख्या 01 से 03 कुंऐ से पीलाई/सिंचाई में अवरोध उत्पन्न नही करें न किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वंय वहन करें। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं पटवारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2021.06.29 13:43:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner